



भारत का विभाजन (भाग-1)

15 Aug. 1947 को भारत की आजादी और विभाजन की दृश्य वास्तविकता से उभरे प्रश्न इतिहासकारों सहित समूचे चेतन समाज के लिये आज भी परेशानी का सबब बन चुके हैं। आजादी तो एक लम्बे गौरवपूर्ण संघर्ष एवं बलिदान का परिणाम थी, विभाजन क्यों? क्या यह अपरिहार्य था? क्या विभाजन ही भारत की साम्प्रदायिक समस्या का वास्तविक समाधान था? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिये दशकों तक लड़ते रहने के बाद कांग्रेस 1947 में खुस्त क्यों पड़ गयी तथा विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया? विभाजन कांग्रेस की धार थी या मुस्लिम लीग की जीत या फिर आजादी देने का साम्राज्यवादी तरीका? ये सभी प्रश्न उत्तरे ही नये, कठिन एवं अनुत्तरित हैं, जिनके की उल समाप्त।

1947 में भारत की आजादी के साथ विभाजन उस राजनीतिक नाटक की परिणति था जिसकी शुरुआत हम 1930 के दशक से मान सकते हैं। वैसे इस नाटक की सामग्रियाँ 19वीं सदी के द्वितीयाई से ही तैयार हो रही थी जब विलियम हंटर की INDIAN MUSALMANS (1870) के प्रकाशित होने के बाद से ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीयता की धार को कुद करने के लिये साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू किया था। सर सैयद अहमद खान की मजिद की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुस्लिम हितों के खतरे की चिंता ने भी साम्प्रदायिक विचारधारा को पनपाया। 1909 के सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल बनाकर इस विचारधारा को औपचारिक मान्यता दे दी गई। मुस्लिम लीग अपने आरम्भिक

दौर में मुसलमानों के लिये विधान सभाओं एवं सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की राजनीति करती थी और जब 1916 में कांग्रेस ने उनकी उक्त मांग को मान लिया तो खिलाफत के प्रश्न पर शुरू हुई अखिलभारत आंदोलन में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने संयुक्त रूप से साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में भागीदारी की। परंतु यह एकता क्षणिक सिद्ध हुई। साइमन कमीशन के विरोध में मुस्लिम लीग ने दिलचस्पी नहीं ली और 1928 में जब संवैधानिक समझौते के समझौते के रूप में 'नेहरू-रिपोर्ट' तैयार हुआ तो जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग पर अड़ गया तथा जिन्नाह ने अपनी 'चौदह सूत्री' योजना रख दी।

1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष मो. इकबाल ने 'सर्व इस्लाम' की भावना से प्रेरित होकर "कम से कम उत्तर-पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य के गठन को मुस्लिम लीग का अंतिम लक्ष्य" घोषित किया जिसका शेष भारत से वीला संघ होता तथा जिसमें उ.प. सीमाप्रांत, पंजाब सिंध तथा बलूचिस्तान होते। ठीक इसके तीन वर्षों के बाद कैम्ब्रिज के काबुल के एक पंजाबी छात्र ने 'अभी नहीं तो कभी नहीं' (NOW OR NEVER) नामक एक पैम्फलेट में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की परिकल्पना की। यह 'पवित्रों की भूमि' (The Land of Pure) 'पाकिस्तान' होता जिसमें पंजाब पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, सिंध, बलूचिस्तान तथा काश्मिर होते। इकबाल की योजना की तरफ इंसोमी कोई विशेष समर्थन नहीं मिला तथा इस एक विचारों

की योजना तथा कॉम्प्लिकेटेड एवं अव्यावहारिक कथनाओं  
लेकिन यही योजना बाद में पाकिस्तान आंदोलन का  
आधार बनी। 1935 के संवैधानिक सुधारों में यह बात  
साम्राज्यवादिओं के विभाग में कही न कही थी।

जिन्ना 1930 में लंदन चले गये थे लेकिन  
1935 के सुधारों के तहत हो रहे चुनावों के लिये  
मुस्लिम लीग को पुनर्संगठित करने के उद्देश्य से  
1935 के अंत में पुनः भारत लौट आये। वे इस समय  
तक भारतीय एकता की बात करते थे और उनका  
मकसद चुनावों में मुस्लिम लीग के माध्यम से ज्यादा  
सीटें जीतकर कांग्रेस को एक और समझौते के  
लिये बाध्य कर देना था तथा इसीलिए कहीं कहीं  
चुनाव प्रचार के लिये उन्होंने कम का सहारा भी लिया।  
लेकिन 1937 के चुनाव परिणाम मुस्लिम लीग तथा जिन्ना  
के लिये निराशाजनक थे। पृथक मतदाता मंडलों की  
अवस्था के तहत मुसलमानों को आवंटित 482 सीटों  
में से 109 पर ही लीग विजयी हो सकी तथा उसे  
कुल मुस्लिम वोटों का मात्र 4.8% ही मिला। जबकि  
कांग्रेस को 58 मुस्लिम सीटों पर 26 में विजय मिली।

1937 का वर्ष विभाजन की कथनी  
का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संयुक्त प्रांत में खलीफाजमा  
ने कांग्रेस से लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने  
का आग्रह किया परंतु संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को स्वयं  
बहुमत था और उसने ऐसा करने से इंकार कर  
दिया। ऐसा कर वह सभी भारतीयों का प्रतिनिधि होने  
के अधिकार को खोना नहीं चाहती थी। लीग चाहती  
थी कि उसे मुस्लिमों का एकमात्र पार्टी मान ली जाये  
पर यह कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध था।  
इस घटना के कारण और बाद के दो वर्षों में

कांग्रेसी सरकारों के कार्यों से मुस्लिमों में अलगाववाद की भावना फैली।

जिन्ना के लिये यह राजनीतिक परीक्षा की धड़ी थी। राजनीति में बने रहने के लिये उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ साम्प्रदायिक दुष्प्रचार किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से मिलकर भारत में हिन्दू राज्य कायम करनी चाहती है तथा भारत से इस्लाम का नामनिर्गमन देना चाहती है।

गोलाना आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को 'इस्लाम के गद्दार', कांग्रेस के नुमाइशी बच्चे तथा हिन्दुओं के भाड़े के टुकड़े' करार दिया गया। जिन्ना इस प्रकार से लोकप्रिय होने लगे। 23 March 1940 को लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने 'द्विशतक सिद्धांत' को मान्यता दे दी एवं स्वतंत्र एवं पृथक् पाकिस्तान की प्राप्ति का मुस्लिम लीग का लक्ष्य घोषित किया।

साम्राज्यवादियों को इसमें कुछ भी बुरा न लगा। 8 Aug. 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 'अगरस्त-प्रस्ताव' में अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया कि 'भावी संविधान उनकी अनुमति से ही बनेगा।

क्रिष्ण प्रस्ताव (1942) ने पहली बार पाकिस्तान की स्थापना की दार्शनिक स्वीकृति दी जिसमें भावी संविधान में प्रांतों को सेचिवक रूप से शामिल होने की बात कही गई थी। प्रांतों को भारत संघ में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार देकर वास्तव में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान निर्माण का अप्रत्यक्ष प्रलोभन दिया गया।

[ क्रमशः जारी ]